

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth in Public Interest

## भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई

## REGIONAL CAPACITY BUILDING AND KNOWLEDGE INSTITUTE C-2, G N ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई – 400051

ईमेल:rtimumbai@cag.gov.in

Phone 26521902

Fax: 022 26522627

सं/क्षेक्षनिज्ञासं/मुंबई/ प्रतिनियुक्ति/2023-24/14 56

परिपन्न -7/Circular -7

दिनांक 19.01.2024

सेवा में मेलिंग सूची के अनुसार IA & AD के सभी कार्यालय

CAG-ALL-OFFICES@lsmgr.nic.in

विषय : क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई मे प्रतिनियुक्ति । Sub : Deputation at Regional Capacity Building and Knowledge Institute (RCB&KI), Mumbai

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

प्रतिनियुक्ति से संबन्धित इस कार्यालय द्वारा जारी पहले के सभी परिपत्रों का अधिक्रमण करते हुए, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान , मुंबई में नीचे विस्तृत रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का प्रस्ताव है।

क्रम सं	पदनाम और वेतन स्तर	संख्या व स्थिति	पात्रता	काम की आवश्यकता
1	वरिष्ठ / सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ई-एचआरएमएस के लिए रेगुलर टेम्पोररी	01	1. मूल कार्यालय में नियमित आधार पर AAO/ SAO पद पर कार्यरत हो। 2. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधीन अधिनस्थ लेखा सेवा या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं AAO संवर्ग मे पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हो।  प्राधिकार: मुख्यालय परिपत्र संख्या-761 / स्टाफ एसएसआर /सीसी/ 26-2021	<ol> <li>आईटी एप्लीकेशन और कम्प्यूटर पर काम करने में प्रवीणता।</li> <li>विभाग में मानव संसाधन या प्रशासन/ बिल से संबन्धित अनुभव रखने वाले और कंप्यूटिरकरण प्रोजेक्ट्स में काम करने का अनुभव रखने वाले आवेदकों को महत्तव दिया जाएगा।</li> <li>आईटी से संबन्धित विषयों में योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।</li> <li>प्रतिनियुक्ति पदों के लिए आवेदकों की आयु 56 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।</li> </ol>
2	सहायक पर्यवेक्षक/ विरष्ठ लेखा परीक्षक / विरष्ठ लेखाकार, लेखा परीक्षक /लेखाकार (प्रशासन)	02	सहायक पर्यवेक्षक/ वरिष्ठ लेखा परीक्षक / वरिष्ठ लेखाकार, लेखा परीक्षक / लेखाकार का पद धारण करने वाले व्यक्ति पात्र हैं	निम्नलिखित प्रशासनिक कार्यों में SAO /AAO (Admn) की सहायता करना:  1. स्थापना से संबन्धित काम जिनमें पीएफएमएस और आईईबीएमएस, कैश मैनेजमेंट इत्यादि शामिल हैं।

(स्तर 5/6/7)	प्राधिकार : मुख्यालय परिपत्रसंख्या 1-SSR/2021दिनांक 04.03.2021	2. प्रशासन से संबन्धित काम जैसे टिप्पण और मसौदा लेखन, फ़ाइल रखरखाव, मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों से पत्राचार इत्यादि शामिल हैं। 3. GeM/ GISO के माध्यम से तय प्रक्रिया के अनुसार समय पर टेंडिरेंग, कॉन्ट्रैक्ट और स्टोर्स मैनेजमेंट सोर्सिंग में सहायता करना। 4. भवन और छात्रावास का रख रखाव एवं निगरानी रखना और रिपोर्ट करना।
--------------	---	--

- 2. उक्त पदों के लिए क्षेप्रसं, मुंबई में प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थी के आवेदन उनके बायोडाटा (संलग्न प्रारूप में) प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत सत्यापन किया गई एपीएआर की प्रमाणित प्रतियां और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ 9 फरवरी 2024 या उससे पहले इस कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि आवेदकों के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक/ न्यायालय/ सतर्कता मामला लंबित अथवा अपेक्षित नहीं है। डाक देरी से बचने के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर संबंधित मूल कार्यालयों द्वारा ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।
- 3. प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्षों के लिए होगी। उसके बाद, उनकी उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन उसे बढ़ाया जा सकता है। क्षेप्रसं, मुंबई में काम करते सभय, चयनित अधिकारी अपने मूल वेतन और मौजूदा नियमों के तहत तहत 12% प्रशिक्षण भत्ता / 10%/5% प्रतिनियुक्ति भत्ता (जो भी लागू हो) के भुगतान के हकदार होंगे।
- 4 कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्य नियमों और शर्तों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के आवेदन उनके संबंधित मूल कार्यालय (कार्यालयों) के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पदाधिकारियों को संस्था में किसी भी पद पर आमेलन का अधिकार नहीं होगा।
- 5 क्षेत्रीय कार्यालयों को आरटीआई/ आरटीसी में कर्मचारियो (प्रशासन और संकाय) के संवर्धन के लिए विस्तृत निर्देश का सख्त अनुपालन हेतु जारी किए गए मुख्यालय के परिपन्न संख्या 269/Trg.Div/42-A/2019 दिनांक 18.09.2019 का संदर्भ लिया जा सकता है । उक्त परिपन्न में दिए गए निर्देश नीचे पुन: अंकित किए गए हैं:
- (क) क्षेत्र कार्यालय सूचना पट्टों परआरटीआई / आरटीसी द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति अधिसूचनाओं को प्रदर्शित करेंगे और अधिसूचना का जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए वो कर्मचारियों के बीच प्रसारित करेंगे।
- (ख) क्षेत्र कार्यालय किसी भी आवेदन को रोके बिना क्षेप्रसं/आरटीसी द्वारा विज्ञापित पद के लिए अपने अधिकारियों / कर्मचारियों से प्राप्त सभी आवेदनों को संबन्धित संस्थान / केंद्र को अग्रेषित करेंगे ।
- (ग) चयन प्रक्रिया के पूरा होने पर, क्षेत्र कार्यालय क्षेप्रसं / आरटीसी मे शिक्षण / प्रशासनिक कार्यों के लिए चयनित अधिकारियों / कर्मचारियों को जल्द से जल्द कार्यमुक्त करने के लिए बाध्य रहेंगे ।
- (घ) क्षेप्रसं / आरटीसी के लिए प्रारम्भिक प्रतिनियुक्ति अवधि 3 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद वार्षिक आधार पर बढ़ाई जाएगी। क्षेप्रसं / आरटीसी किसी भी समय पर एक प्रतिनियुक्त अधिकारी / कर्मचारी को कार्य प्रदर्शन असंतोषजनक पाये जाने पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 6. मुख्यालय के परिपत्र संख्या 398/प्रशिक्षण विभाग/42-A/2019 दिनांक 14.07.2020 के अनुसार, क्षेत्र कार्यालय द्वारा आरटीआई/ आरटीसी के विज्ञापित पदों के लिए अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों से प्राप्त किसी भी आवेदन को वापस नहीं लेने के विषय में बिन्दु नं. 6(ख), उन आवेदकों के मामले में लागू नहीं होगा, जिन्हें 6 महीने के अंदर आररटीआई/ आरटीसी द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया है। आवेदनों को अग्रेषित करने से पहले इस पर ध्यान दिया जा सकता है।
- 7. यह संस्थान सोमवार से शनिवार (दूसरा शनिवार बंद) कार्यरत रहता है।

8. भावी उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सेवा शर्तों और कार्य आवश्यकताओं को ध्यान से देख सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार क्षे प्र सं, मुंबई में आवेदन भेजे जाने के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

In supersession of all the earlier circulars on deputation issued by this office, the following vacant positions at Regional Capacity Building and Knowledge Institute (RCB&KI), Mumbai are proposed to be filled up on deputation basis.

Sr No.	Designation and Pay Level	No. of Posts	Eligibility	Work requirement
1	SAO / AAO For e-HRMS Regular Temporary	01	1.Holding AAO/ SAO post on regular basis in the parent cadre. 2.Who, has passed the Subordinate Audit Services or Subordinate Accounts Services Examination and awaiting AAO promotion.  HQ Circular No.761/staff- SSR/CC/ 26-2021 11.11.2022	<ol> <li>Proficiency in working with IT applications and computers.</li> <li>Applicants having experience related to human resources or administration/ bills in the department and having experience of working in computerization projects will be given importance.</li> <li>Preference will also be given to candidates having qualification in IT related subjects.</li> <li>The age of the applicants for deputation posts should not be 56 years or more.</li> </ol>
2	Asstt. Supervisor/ Sr Auditor/ Sr Accountant, Auditor/ Accountant	02	Persons holding the post of Asstt. Supervisor, Sr Auditor/ Sr Accountant, Auditor/ Accountant are eligible Auth: Hqs Circular No. 1- SS&R/2021 Dated 04.03.2021	To assist SAO/AAO (Admn) in the following administrative functions.  Administration and Establishment in RTI, Mumbai, including:  1. Establishment functions, including operating PFMS and iBEMS, Cash Management etc.  2. Administration functions, including Noting-drafting, communication with Hqs and other offices etc.  3. Assisting in tendering as per due procedure, sourcing through GeM/ GISO, contract and stores management  4. Taking account of assets and building (including hostel) and reporting regarding the same

2. Applications of candidates who are willing to be considered for deputation to RTI, Mumbai for the above posts may be forwarded to this office on or before **09 February 2024** along with their Bio-Data (Annexure enclosed), certified copies of APAR for the last 5 years duly attested on each page and vigilance clearance certificate. It may be certified that no

disciplinary/court/vigilance case is either pending or contemplated against the applicants. The required documents of the eligible candidates may be scanned and sent by email by the respective Parent offices to avoid postal delay.

- 3. The term of deputation will be for three years and may be extended thereafter, subject to his/her continued suitability and administrative convenience. While working at RTI, Mumbai, the selected official will draw his/her basic pay plus 12% Training Allowance / 10%/5% Deputation Allowance, as applicable on his/her basic pay and as admissible under extant rules.
- 4. The applications of the Officers/Officials working in the office on deputation basis on normal terms and conditions shall be forwarded through their respective parent Office(s). The officials working on deputation basis shall not have right for absorption in any post in the institution.
- 5. A reference is invited to Headquarters Circular No 269/Trg.Div/42-A/2019 dated 18.9.2019 wherein detailed instructions to field offices on augmentation of staff (Administration and Faculty) in RTI/RTCs were issued for strict compliance. The instructions in the said circular are re-iterated below:
- a. Field offices shall display the deputation notifications issued by RTI/RTCs on the notice boards and circulate among the staff giving reasonable time to the candidates for responding to the notification.
- b. Field offices shall forward all applications received from their officers/staff against the position advertised by RTIs/RTCs to the Institute/Centre concerned without withholding any application.
- c. On completion of selection process, the field offices shall obligatory relieve the selected officers(s) for teaching/administrative assignments at the RTIs/RTCs at the earliest.
- d. The initial deputation period to RTIs/RTCs will be for 3 years and extendable on yearly basis thereafter. The RTI/RTC however, reserves the right to repatriate a deputationist at any time if his/her performance is found unsatisfactory.
- 6. However, clause at Sl No.6(b) regarding instruction to field offices not to withhold any applications received from their officers/staff against positions advertised by RTIs/RTCs will not apply in case of applicants who have been reverted/repatriated in the last six (6) months from RTIs/RTCs to their parent offices as per Headquarters Circular No 398/Trg. Div/42-A/2019 dated 14.7.2020. This may please be noted before forwarding the applications.
  - 7. The institute works from Monday to Saturday (Second Saturday closed).
- 8. Prospective candidates may please go through the service conditions and work requirements carefully before they apply. It may please be noted that once an application is sent to RTI, Mumbai, it may not be withdrawn.

यह महानिदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई के अनुमोदन से जारी होता है। This issues with the approval of Director General, Regional Training Institute, Mumbai.

संलग्न: बायोडाटा फॉर्म

भवतीय

व लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

## BIO DATA (ANNEXURE)

1	Name in full (S/Shri/Ms)	
2	Present Post Held	
3	Permanent Address	
4	Present Address	
5	Date of Birth	
6	Qualification	
	(i) Educational	
	(ii) Professional	
7	Office to which the applicant belongs	
	(i) Parent office	
	(ii) Present Office	
8	Whether belongs to SC/ST/Neither	
9	Date of entry into Government	
	service	
10	Date of entry in IA&AD	
11	Date and year of passing SAS	
	examination (Please mention Civil	
	accounts/Civil	
	Audit/Commercial/P&T etc)	
12	Date of promotion as AAO/SAO	
13	Details of other exams passed	
	(RAE/CPD – I, CPD – II/others)	
14	Proficiency in Computers, full	
	details may be given	
15	Present pay and Pay level	
16	Contact Number and official email id	
17	Any other information	

Date	
Date	

Place

Signature of the applicant

It is certified that the above particulars furnished are correct as per out office records.

Signature of HOD (with Stamp)